

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5199/2025

विवेक

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अवधेश कुमार मालवीय, मनोज कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए उप संचालक चकबंदी द्वारा निगरानी संख्या 0316/2023 (कंप्यूटर वाद संख्या 20235415900000316 (राम भवन बनाम प्रमोद एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 को चुनौती दी है। दूसरी प्रार्थना गाटा संख्या 615 से अतिरिक्त क्षेत्रफल यानी 0.047 हेक्टेयर को कम करने और गाटा संख्या 203 पर भूमि का समान विनिमय मूल्य आवंटित करने के लिए की गई है।
3. वर्तमान रिट याचिका अनंतिम चकबंदी योजना से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता गाटा संख्या 615 पर चक के आवंटन से व्यथित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अनंतिम चकबंदी योजना में याचिकाकर्ता को चक संख्या 1171 प्रस्तावित किया गया है। सह-खातेदारों के बीच मुकदमेबाजी के उतार-चढ़ाव भरे इतिहास के बाद, गाटा संख्या 615 पर अतिरिक्त क्षेत्रफल के आवंटन से व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाकर्ता ने एक निगरानी, जो कंप्यूटर वाद संख्या 20245415900003268 है, दायर की जिसमें गाटा संख्या 615 से 0.097 हेक्टेयर क्षेत्रफल को गाटा संख्या 203 पर स्थित उसके पहले चक में स्थानांतरित करने की राहत मांगी गई। साथ ही, अन्य सह-खातेदारों ने भी अपनी निगरानी दायर कीं जिनकी संख्या पांच है। निगरानी संख्या 0316 को मुख्य वाद (लीडिंग केस) बनाया गया था, जो राम भवन द्वारा अपने विक्रय विलेख के अनुसार अपने घर, पेड़, सिंचाई के स्रोत, शौचालय आदि से सटे अपने चक को काटने (कार्वेशन) का दावा करते हुए दायर की गई थी। उपर्युक्त निगरानियों के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता ने दक्षिण की ओर पिच रोड से सटे चक संख्या 539, 1170 और 1171 के आवंटन की मांग करते हुए एक प्रकीर्ण आवेदन दिया।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से दायर निगरानी संख्या 3268 (कंप्यूटर वाद संख्या 20245415900003268) स्वीकार कर ली गई है। उप संचालक चकबंदी द्वारा पारित आदेश के साथ

संलग्न संशोधन तालिका (अमेंडमेंट चार्ट) यह दर्शाती है कि 0.085 हेक्टेयर क्षेत्रफल को गाटा संख्या 615/1 मिन से गाटा संख्या 203/1 मिन में स्थानांतरित कर दिया गया है। नजरी नक्शा (रिट याचिका का पृष्ठ संख्या 65) यह दर्शाता है कि उप संचालक चकबंदी ने उत्तर में चक मार्ग से सटे चक संख्या 1171 और चक संख्या 1170 को दक्षिण में पिच रोड से सटे हुए काटा है।

5. मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता कि वर्तमान याचिकाकर्ता को सड़क किनारे की भूमि से पूरी तरह विस्थापित कर दिया गया है। वास्तव में, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में मांगी गई राहत को उप संचालक चकबंदी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ तक कि निगरानी के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रकीर्ण आवेदन को भी काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया था, जिसके द्वारा उसके चक को पिच रोड से सटे दक्षिणी तरफ तक विस्तारित किया गया है।
6. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुझे वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करने या निगरानियों के समूह, जिसमें मुख्य निगरानी संख्या 316/2023 (कंप्यूटर वाद संख्या 20235415900000316) है, में उप संचालक चकबंदी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं मिलता है। आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई अवैधता, विकृति या कमी नहीं है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ कैसे पक्षपात हुआ है, या यदि आक्षेपित आदेश के कारण उसके साथ न्याय की विफलता (मिसकैरिज ऑफ जस्टिस) होने की कोई संभावना है।
7. परिणामस्वरूप, रिट याचिका, भ्रामक और गुणहीन होने के कारण, बिना किसी लागत के आदेश के खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

विनय